नॉमिनी और उतराधिकारी के बीच फर्क के महत्व को समझना अत्यावश्यक

वसीयत बनाई न हो तो संपत्ति बंटवारे की आप की इच्छा अधूरी रह सकती है

संपत्ति के कानूनन उतराधिकारी और नॉमिनी के बीच क्या फर्क है? नॉमिनी का चयन करने का आशय क्या है? वसीयत के संदर्भ में नॉमिनी की वास्तविक भूमिका क्या होती है? वसीयत न बनाने पर क्या हो सकता है? ऐसे अनेक प्रश्नों के वास्तविक उत्तर या इस संबंध में वास्तविक जानकारी के बिना आप जिसको संपत्ति देना चाहते है, को संपत्ति मिलने में अवरोध पैदा हो सकता है। इस विषय में उचित समझ प्राप्त करने और उसके अमलीकरण पर कई परिवारों का संपत्ति संबंधी विवाद टल सकता है।

निवेशक के निधन के बाद उसके नाम पर चढ़े शेयरों के अधिकार प्राप्त करने की सेबी द्वारा सुलभ बनाई गई विधि की चर्चा हम इसके आगे कर चुके है। उसमें, कानूनन उतराधिकारी और नॉमिनी संबंधी विषय भी शामिल था। हाँलाकि, कई लोगों के मन मे कानूनन उतराधिकारी और नॉमिनी के बीच फर्क के बारे में पर्याप्त समझ नहीं है। आईए,आज हम इन दोनों के बीच फर्क की समझ सरल शब्दों में प्राप्त करें।

प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को असर करनेवाले सवाल यह है कि क्या कानूनन उतराधिकारी और नॉमिनी एकसमान है? निवेशक के निधन के बाद नॉमिनी को पैसा मिलते ही काम पूरा हो जाता है? किंतु, कानून के अनुसार इसमें फर्क है और कानूनन जो सत्य है, वही स्वीकार्य होता है।

नॉमिनी होता है ट्रस्टी या कैयरटेकर

हकीकत में, नॉमिनी संबंधित व्यक्ति की संपत्ति का न कि मालिक या उतराधिकारी है, बल्कि उसे केवल ट्रस्टी या कैयरटेकर की ही भूमिका अदा करनी होती है। नॉमिनी निवेशक का वो

BSE - INTERNAL

विश्वसनीय व्यक्ति है, जिसको उस निवेशक ने अपने जिन स्वजन या प्रियजनों को अपने निधन के बाद संपत्ति देनी है, की देखभाल के लिए नियुक्त किया होता है। नॉमिनी का दायित्व निवेशक के निधन के बाद उसके कानूनन वारिसों के बीच संपत्ति का बंटवारा करना है। निवेशक के निधन के बाद पूरी संपत्ति नॉमिनी के हस्तक रहने के बावजूद उसे केवल ट्रस्टी का कर्तव्य निभाना होता है। हाँलकि,ज्यादातर ऐसा होता है कि अपने निधन के बाद जिन के साथ संपत्ति का बंटवारा करना है, उसी को या ऐसी व्यक्तियों को निवेशक नॉमिनी नियुक्त करता है। वैसे, कई बार विशिष्ट कारणवश संपत्ति में किसे कितना हिस्सा देना है, का निर्णय बाकी हो तो निवेशक पहले नॉमिनी नियुक्त करता है और उसे अपने खुद के द्वारा बनाई गई वसीयत अनुसार संपत्ति के बंटवारे की सूचना देता है। कानूनन उतराधिकारी वही होता है जिसका नाम वसीयत में दर्ज है।

वसीयत नहीं तो उतराधिकार कानून

वसीयत न बनाने के मामले में उतराधिकार कानून लागू होता है और तदनुसार, संपत्ति का बंटवारा होता है। उतराधिकार कानून में निर्धारित ढांचे के अनुसार तय करना होता है की किसे कितनी संपत्ति मिलेगी। वैसे, जिंदा होने के दौरान व्यक्ति द्वारा पत्नी और बच्चों के दर्ज नाम के साथ वसीयत बनाकर निष्पादन किया गया हो तो उसके निधन के बाद उसकी पत्नी और बच्चों को संपत्ति मिलती है। ऐसे समय उतराधिकार कानून नहीं चलता। नॉमिनी भी कानूनन उतराधिकारी हो सकता है। वैसी स्थिति में, पत्नी व बच्चों का पूरा नाम, पत्ता उम्र और रिश्ता आदि विवरण स्पष्टरूप से दर्ज करना जरूरी है। यदि नॉमिनी नाबालिग हो तो वयस्क व्यक्ति नियुक्ति की जा सकती है।

नॉमिनी की नियुक्ति से क्या लाभ?

सवाल यह है कि नॉमिनी संबंधित संपत्ति का मालिक बननेवाला नहीं हो तो उसे नियुक्ति क्यों करना? इसलिए क्योंकि, निवेशक व्यक्ति चाहती है कि उसके निधन के बाद उसकी मालिकी के शेयर्स, म्युच्युअल फंड्स की योजनाओ में निवेशित धन, बीमा की पकनेवाली राशि आदि संबंधित संस्थाओ, कंपनियों के पास पड़ी रह जाए उसके के बदले उसे जिस पर विश्वास है ऐसी व्यक्ति को नॉमिनी नियुक्त करे कि जो उसके अपने उतराधिकारियों को व्यवस्थितरूप से उनके अधिकार सुपुर्द करें। अन्यथा, निवेशक का निधन हो जाने पर उसके कानूनन उतराधिकारियों को लंबी विधि करनी पड़ेगी। जैसे कि, विदाय कर गई व्यक्ति का मृत्यु प्रमाणपत्र, रिश्तों का साक्ष्य आदि सुपुर्द करना पड़ता है। मृत व्यक्ति का जिन कंपनियों और संस्थाओ मे निवेश है, के साथ उतराधिकारियों को ही व्यवहार करना पड़ता है। लेकिन, नॉमिनी नियुक्त हो तो कंपनियों को सीधे ही मृतक की संपत्ति नॉमिनी को ट्रांसफर कर देनी

BSE - INTERNAL

होती है। कंपनियों के लिए ऐसा करना बंधनयुक्त है। अंत मे संपत्ति का मामला नॉमिनी और मृतक के उतराधिकारियों के बीच रहता है। वैसे, इस विषय में आपके कानूनी व वित्तीय सलाहकार के साथ मशविरा करना हितवाह है।

वैसे, सेबी ने विभिन्न एसेट क्लास में नॉमिनी की नियुक्ति अनिवार्य बनाने की मुद्दत अब दिसंबर, 2023 बढ़ाई है।

प्रेषक: **जयेश चितलिया**

(टिप्पणी: यहाँ दर्शाए गए विचार और अभिप्राय लेखक के है। इसका उद्देश्य निवेशकों को जानकारी प्रदान करने और जागरूकता के लिए है.। इसमें किसी भी क्षति या कमी होने पर बीएसई जिम्मेदार नहीं है)

BSE - INTERNAL